



2026:AHC:48461

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट - सी सं. - 7406 वर्ष 2026

शफी अहमद

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

..... प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से अधिवक्ता : यानेंद्र पाण्डेय
प्रतिवादी(यों) की ओर से अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1. याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका प्रस्तुत की गई है:-

A. परमादेश की प्रकृति में उपयुक्त रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या-2, अर्थात् जिलाधिकारी, प्रयागराज को निर्देशित किया जाए कि उनके समक्ष लंबित अपील संख्या 07 वर्ष 2023 (धारा 49(8), उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अंतर्गत) शेख हारून एवं अन्य बनाम शफी अहमद का निस्तारण इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाए।

2. याचिकाकर्ता द्वारा पूर्व में रिट याचिका संख्या 20786 वर्ष 2023 प्रस्तुत की गई थी, जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.08.2023 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:-

1. श्री सुरेश कुमार गुप्ता, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

2. वर्तमान रिट याचिका इस आशय की परमादेश की प्रकृति में निर्देश जारी किए जाने हेतु दाखिल की गई है कि प्रतिवादी संख्या-2, जिलाधिकारी, प्रयागराज को निर्देशित किया जाए कि उनके समक्ष लंबित अपील संख्या 07 वर्ष 2023 (शेख हारून एवं अन्य बनाम शफी अहमद), जो धारा 49(8), उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अंतर्गत ग्राम कछार

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मऊ, परगना एवं तहसील सोरांव, जनपद प्रयागराज से संबंधित है, का निस्तारण एक निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाए।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यदि उपर्युक्त वाद पर समयबद्ध रूप से विचार कर निर्णय कर दिया जाए, तो याचिकाकर्ता की शिकायत का पर्याप्त निराकरण हो जाएगा।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कथन है कि रिट याचिका को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा तथा प्रतिवादी संख्या-2 को याचिकाकर्ता की शिकायत पर विचार करने हेतु उपयुक्त निर्देश जारी किया जा सकता है।

5. तथापि, प्रकरण के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना तथा यदि कोई अन्य विधिक बाधा न हो, तो प्रतिवादी संख्या-2, जिलाधिकारी, प्रयागराज को निर्देशित किया जाता है कि वे अपील संख्या 07 वर्ष 2023 (शेख हारून एवं अन्य बनाम शफी अहमद), धारा 49(8), उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अंतर्गत, ग्राम कछार मऊ, परगना एवं तहसील सोरांव, जनपद प्रयागराज से संबंधित अपील का निस्तारण यथाशीघ्र करें तथा अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से नौ माह की अवधि के भीतर, दोनों पक्षों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित करें।

6. यह भी निर्देशित किया जाता है कि अपील के लंबित रहने की अवधि के दौरान सभी पक्षकार आज की तिथि की स्थिति बनाए रखें।

7. उपर्युक्त निर्देशों के साथ रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

3. रिट याचिका के प्रथम अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त राहत के लिए यह पहली रिट याचिका है, जबकि अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि समान वाद-कारण के लिए यह दूसरी रिट याचिका है। अतः, वर्तमान याचिका पोषणीय नहीं है और इसे हर्जाने के साथ खारिज किया जाना उचित है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. इस स्तर पर, याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वर्तमान याचिका को 'दबाव न डालने' के आधार पर खारिज करने की प्रार्थना की गई है।
5. मामले के तथ्यों के आलोक में और उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए, वर्तमान याचिका को 'दबाव न डालने' के आधार पर हर्जाने सहित खारिज किया जाता है।
6. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति एक सप्ताह के भीतर जिलाधिकारी, प्रयागराज को प्रेषित करें।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

10 मार्च, 2026

सकलैन

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।